स.ए. 20011/4/2020 - हिंदी
भारत सरकार/ Government of India
गृह मंत्रालय / Ministry of Home Affairs
समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार
Directorate of Coordination Police Wireless

आज़ादी का अमृत महोत्सव

खण्ड सं ,9 .के.स.का .परिसर/Block No.9, C.G.O., Complex,
लोधी रोड ,नई दिल्ली/Lodhi Road, New Delhi-3

दिनांक /Dated: 13 जुलाई, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: निदेशालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक की कार्यवृत्त ।

समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार (मुख्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की जून 2022 तिमाही की बैठक दिनांक 21 जून 2022 को 1200 बजे श्री रमेश कुमार सिद्धार्थ, भा.दू.से., निदेशक, स.नि.पु.बे. की अध्यक्षता में ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की गई। बैठक में कार्यसूची के अनुसार विचार-विमर्श करके निदेशालय के हिंदी पत्राचार को बढ़ाने और फाइलों पर हिंदी में टिप्पणी को बढ़ाने तथा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक निर्णय लिए गए।

2. बैठक की कार्यवृत्त की एक प्रति समिति के सभी सदस्यों एवं निदेशालय के सभी अनुभाग अधिकारियों की सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेषित की जा रही है।

3. समिति के सभी सदस्यों और संबंधित अनुभाग अधिकारियों से अनुरोध है कि बैठक में लिए गए निर्णयों पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए की गई कार्रवाई से राजभाषा अनुभाग को पत्र जारी होने के एक माह के भीतर अवगत करवा दें ताकि निदेशालय की अगली तिमाही बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुपालन रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की जा सके।

4. यह कार्यवृत्त निदेशक महोदय के अनुमोदन से जारी किया गया है।

13.07.2022
(डॉ. राजीव कुमार सिंह)
सहायक निदेशक (राजभाषा)
दूरभाष : 011-24361588
ई-मेल आईडी- rajivkumar.79@dcpw.gov.in

संलग्नक: यथोपरि।

प्रति:-

1. राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्य।
2. सभी अनुभाग अधिकारी।
3. सहायक निदेशक (प्रशिक्षण), केंद्रीय पुलिस रेडियो प्रशिक्षण संस्थान, वन्दे मातरम् मार्ग, नई दिल्ली ।
4. उप निदेशक, पोलनेट हब स्टेशन, समन्वय सदन, सिरीफोर्ट, नई दिल्ली।
5. स.नि., सूचना और प्रौद्योगिकी- विभाग की वेबसाइट (Circular भाग) पर अपलोड करने हेतु।
6. सभी अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्रों के संयुक्त सहायक निदेशक/ स्टेशन अधीक्षक।
7. कार्यालय प्रति।

<u>प्रतिलिपि सादर सूचनार्थ</u>:-

1. निदेशक महोदय के प्रधान निजी सचिव।
2. निदेशक (राजभाषा), भारत सरकार, गृह मंत्रालय, आठवां तल, एनडीसीसी-II भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली- 110001 को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

13.07.2022

(डॉ. राजीव कुमार सिंह)
सहायक निदेशक (राजभाषा)

समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार
(राजभाषा अनुभाग)

विषय: समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक (जून 2022 तिमाही) की कार्यवृत्त।

समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार (मुख्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की जून 2022 तिमाही की बैठक श्री रमेश कुमार सिद्धार्थ, भा.दू.से., निदेशक, स.नि.पु.बे. की अध्यक्षता में दिनाँक 21 जून, 2022 को 1200 बजे निदेशालय (मुख्यालय) में ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की गयी। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लियाः-

क्र. सं.	नाम व पदनाम	
1.	श्री रमेश कुमार सिद्धार्थ, भा.दू.से., निदेशक, स.नि.पु.बे.	अध्यक्ष
2.	श्री रविन्द्र कुमार वर्मा, संयुक्त निदेशक (पोलनेट)	सदस्य
3.	डॉ. सुरेश विनायक, संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)	सदस्य
4.	श्री घन श्याम, संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	सदस्य
5.	श्री नरेश कुमार, संयुक्त निदेशक (बीजलेख एवं संचार)	
6.	श्री वी.एस. पवांर, उप निदेशक (भूमि व भवन)	
7.	श्री विद्याधर, उप निदेशक (बीजलेख)	सदस्य
8.	श्री एच. एस. श्रीहरी, उप निदेशक (पोलनेट एवं संचार)	सदस्य
9.	श्री हेमन्त कुमार, उप निदेशक (प्रशासन)	सदस्य
10.	श्री राजेश कुमार सिंह, उप निदेशक (समन्वय)	सदस्य
11.	डॉ. राजीव कुमार सिंह, सहायक निदेशक (राजभाषा)	सदस्य सचिव

सर्वप्रथम सदस्य सचिव द्वारा अध्यक्ष महोदय सहित सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए अध्यक्ष महोदय से अनुमति लेकर बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई। बैठक में कार्यसूची के अनुसार विचार-विमर्श करके आवश्यक निर्णय लिए गए, जो निम्नानुसार हैं :-

मद संख्या 1. पिछली बैठक की कार्यवृत्त की पुष्टि. बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा निदेशालय की पिछली बैठक जो 30 मार्च 2022 को सम्पन्न हुई थी, उसकी कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

मद संख्या 2. पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा. निदेशालय की पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई और निम्नानुसार आवश्यक निर्णय लिए गए :-

1. **हिंदी में कार्य करने के लिए वार्षिक प्रोत्साहन पुरस्कार योजना वर्ष 2020-21.** निर्णय लिया गया कि राजभाषा विभाग, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार निदेशालय में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए हिंदी में कार्य करने हेतु लागू की गई वार्षिक प्रोत्साहन पुरस्कार योजना में भाग लेने वाले 11 कार्मिकों को पुरस्कार देने से संबंधित कार्रवाई इस बावत गठित मूल्यांकन समिति द्वारा की जाए।

कार्रवाई- मूल्यांकन समिति/ हिंदी अनुभाग

2. **पाठ्यक्रम समिति रिपोर्ट -2019 के हिंदी रूपांतरण में तकनीकी शब्दों की सुसंगतता की जांच.** निर्णय लिया गया कि सी.पी.आर.टी.आई. से हिंदी अनुभाग को प्राप्त पाठ्यक्रम समिति रिपोर्ट-2019 के हिंदी रूपांतरण में हिंदी के तकनीकी शब्दों की सुसंगतता की जांच एवं पुनरीक्षण, जो कि हिंदी अनुभाग द्वारा कर लिया गया है, इसे अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाए।

कार्रवाई- हिंदी अनुभाग / सी.पी.आर.टी.आई.

3. **<u>हिंदी पुस्तकालय के लिए हिंदी पुस्तकों की खरीद संबंधी निर्णय</u>.** सदस्य सचिव द्वारा सूचित किया गया कि हिंदी पुस्तकालय में पहले से ही लगभग 4600 हिंदी की पुस्तकें उपलब्ध हैं, इस वर्ष इस लक्ष्य को सी.पी.आर.टी.आई. द्वारा खरीदी जाने वाली हिंदी पुस्तकों से ही हासिल किया जा सकता है।

कार्रवाई- हिंदी अनुभाग

4. **<u>हिंदी टंकक हेतु भर्ती का प्रस्ताव</u>.** प्रशासन अनुभाग **GeM** के माध्यम से हिंदी टंकण जानने वाले विशेषज्ञ व्यक्ति को अनुबंध के आधार पर रखे जाने की संभावना की स्थिति के विषय में पता करने के निर्णय पर उप निदेशक (प्रशासन) द्वारा समिति को सूचित किया गया कि इस संबंध में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है और **GeM** के माध्यम से हिंदी टंकक को अनुबंध के आधार पर भर्ती करने हेतु पत्राचार किया गया है।

कार्रवाई- प्रशासन अनुभाग

5. **<u>कार्यालय के दो और अनुभागों को अपना संपूर्ण कार्य हिंदी में करने हेतु नामित करने का निर्णय</u>.** इस निर्णय पर सदस्य सचिव द्वारा सूचित किया गया कि निदेशालय के कार्यशाला अनुभाग का हिंदी पत्राचार सभी अनुभागों से अधिक है और उनका हिंदी पत्राचार प्रत्येक तिमाही में निरंतर बढ़ रहा है, यदि अनुमति हो तो कार्यशाला अनुभाग को अपना सम्पूर्ण कार्य हिंदी में करने हेतु नामित किया जा सकता है। इस प्रकार निदेशालय के चार अनुभाग- क्रय, प्रशासन, भंडार और कार्यशाला तथा संचार अनुभाग की एक यूनिट संचार केन्द्र हिंदी में काम करने के लिए नामित हो जाएंगे। विचार-विमर्श के बाद निर्णय लिया गया कि कार्यशाला अनुभाग को अपना काम हिंदी में निष्पादित करने हेतु नामित करने संबंधी कार्रवाई की जाए।

कार्रवाई- हिंदी अनुभाग

6. **<u>कर्मचारियों हेतु प्रतिमाह और अधिकारियों हेतु प्रत्येक तिमाही में आयोजित की जाने वाली हिंदी प्रतियोगिता/हिंदी गतिविधि</u>.** सदस्य सचिव द्वारा सूचित किया गया कि निदेशालय द्वारा आयोजित पिछले चार हिंदी प्रतियोगिताओं में निदेशालय मुख्यालय के विजयी प्रतिभागियों हेतु पुरस्कार में दी जाने वाली उपयोगी वस्तु खरीद ली गयी हैं और पुरस्कार वितरित किया जाना शेष है। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा सहायक निदेशक (राजभाषा) को उनसे अलग से मिलकर पुरस्कार वितरित करने हेतु चर्चा करने के लिए कहा गया। इस संबंध में दिनांक 23 जून 2022 को आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में निदेशक महोदय द्वारा विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र वितरित कर दिए गए हैं।

7. **<u>हिंदी कार्यशाला का आयोजन</u>.** कार्मिकों की हिंदी में कार्य करने की झिझक को दूर करने हेतु समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार में अप्रैल-जून 2022 तिमाही में दिनांक 29 जून 2022 को ऑनलाइन माध्यम से एक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रधान लेखा परीक्षा कार्यालय के हिंदी अधिकारी जो नराकास (दिल्ली, मध्य क्षेत्र) के सदस्य सचिव भी हैं, को अतिथि वक्ता के रूप में आमंत्रित किया जाएगा। साथ ही सदस्य सचिव द्वारा सूचित किया गया कि राजभाषा विभाग, केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा वर्ष 2022-23 में पांच अर्द्ध कार्य दिवसीय ऑनलाइन हिंदी कार्यशाला में मई व जून 2022 में निदेशालय के कुल 04 कर्मचारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस पर समिति द्वारा प्रसन्नता जाहिर की गयी और आगे भी इसी तरह से प्रशिक्षण में कर्मचारियों को नामित करने का निर्णय लिया गया।

8. **<u>हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री</u>.** सदस्य सचिव द्वारा सूचित किया गया कि केन्द्रीय पुलिस रेडियो प्रशिक्षण संस्थान द्वारा हिंदी में तकनीकी विषयों की पुस्तकों की खरीद हेतु कार्रवाई की जा रही है। साथ ही उन्होंने समिति को बताया कि वे स्वयं सी.पी.आर.टी.आई. में जाकर पुस्तकालय हेतु खरीदी जाने वाली हिंदी में तकनीकी विषयों की पुस्तकों की उपयोगिता की जांच करके अपनी राय देंगे।

कार्रवाई- सहायक निदेशक (राजभाषा)/ सी.पी.आर.टी.आई.

9. **<u>हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)</u>.** श्री एच.एस. श्रीहरि, उप निदेशक (पोलनेट एवं संचार) और श्री एस.चटर्जी, सहायक संचार अधिकारी, जिन्हें हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं हैं, इन्हें केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा दिनांक 02 मई 2022 से 26 जुलाई 2022 तक संचालित की जाने वाली ऑनलाइन हिंदी भाषा प्रशिक्षण (प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ) में नामित करने हेतु लिए गए निर्णय पर सदस्य सचिव ने सूचित किया कि इन कार्मिकों को इस प्रशिक्षण हेतु नामित करने के लिए राजभाषा विभाग को पत्र लिखा गया था, लेकिन राजभाषा विभाग से सूचना प्राप्त हुई है कि प्रशिक्षार्थियों की संख्या कम होने के कारण यह प्रशिक्षण शुरू नहीं किया गया है, जब भी प्रशिक्षण प्रारंभ होगा तो हमारे निदेशालय को सूचित किया जाएगा। साथ ही श्रीमती शकुन्तला चौहान, निजी सचिव, जो अंग्रेजी आशुलिपिक हैं, इन्हें केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा 80 कार्य दिवसीय ऑनलाइन हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण जोकि दिनांक 22 अगस्त 2022 से 14 दिसम्बर 2022 तक संचालित किया जाना है, इन्हें इस प्रशिक्षण हेतु नामित किया गया था। राजभाषा विभाग से पत्र प्राप्त हुआ है कि केन्द्र द्वारा हिंदी आशुलिपि की कक्षाएं ऑफलाइन माध्यम से संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसलिए जब भी ऑफलाइन कक्षाएं संचालित की जाएंगी तो इस के संबंध में हमारे निदेशालय को सूचित किया जाएगा।

कार्रवाई- हिंदी अनुभाग

10. **<u>मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों का राजभाषाई निरीक्षण</u>.** इस संबंध में राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित वार्षिक लक्ष्य 25 प्रतिशत है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में कोविड-19 महामारी की व्यापकता और लॉकडाउन के कारण अधीनस्थ कार्यालयों का राजभाषाई निरीक्षण नहीं किया जा सका। निर्णय लिया गया कि स्थिति सामान्य होने पर और इस संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की जाने वाली अद्यतन दिशा-निर्देशों के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष में सहायक निदेशक (राजभाषा) द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों का राजभाषाई निरीक्षण कर इस लक्ष्य को प्राप्त करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा।

कार्रवाई- हिंदी अनुभाग

11. **<u>मुख्यालय स्थित अनुभागों का राजभाषाई निरीक्षण.</u>** राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित वार्षिक लक्ष्य 25 प्रतिशत के अनुसार मुख्यालय के 13 अनुभागों में से चार अनुभागों का इस वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजभाषाई निरीक्षण किया जाना अपेक्षित है। निर्णय लिया गया कि सहायक निदेशक (राजभाषा) द्वारा इस लक्ष्य को हासिल करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा।

कार्रवाई- हिंदी अनुभाग

12. **<u>राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक से पूर्व समिति के सभी सदस्यों हेतु एक सलाह (एडवाइजरी) जारी करने के संबंध में</u>.** सदस्य सचिव द्वारा सूचित किया गया कि निर्णयानुसार सहायक निदेशक (राजभाषा) द्वारा समिति की बैठक आयोजित करने से पूर्व दिनांक 17 जून 2022 को राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में चर्चा किए जाने वाले मुद्दों के विषय में सभी सदस्यों का ध्यान आकर्षित करने हेतु एक सलाह (एडवाइजरी) जारी की गयी । इसके साथ वार्षिक कार्यक्रम वर्ष 2022-23 में दिए गए लक्ष्यों की प्रति भी अग्रेषित की गई थी।

13. **<u>पोलनेट हब द्वारा संदेशों को हिंदी में निर्गत करना.</u>** पोलनेट हब द्वारा संदेश पत्रों को हिंदी में भेजने की कोशिश करने, ताकि निदेशालय द्वारा हिंदी पत्राचार के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके के निर्णय पर उप निदेशक (पोलनेट) द्वारा समित को सूचित किया गया कि कतिपय संदेशों को पोलनेट द्वारा हिंदी में भेजा जा रहा है। इस पर विचार-विमर्श करके निर्णय लिया गया कि पोलनेट हब अपने माध्यम से भेजे जाने वाले संदेशों को अधिक से अधिक हिंदी में जारी करने की कोशिश करे, जिससे निदेशालय का हिंदी पत्राचार बढ़ सके। निदेशक महोदय ने निर्देश दिया कि उप निदेशक (पोलनेट) अपने अधीनस्थ कार्मिकों को हिंदी में संदेश जारी करने से संबंधित निर्देश जारी करें।

14. **<u>हिंदी पुस्तकालय में समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं मंगवाया जाना</u>**. सदस्य सचिव द्वारा अवगत किया गया कि निदेशक महोदय के अनुमोदन से निदेशालय के हिंदी पुस्तकालय में जून 2022 माह से समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं मंगाई जा रही हैं और इन्हें पुस्तकालय में उचित स्थान पर रखा जा रहा है, जिसे निदेशालय के सभी कार्मिक पढ़ सकते हैं और इन्हें उनके परिवार जनों को पढ़ने हेतु भी जारी किया जा सकता है।

15. <u>निदेशालय में हिंदी पदों की स्थिति</u>. सदस्य सचिव द्वारा अवगत किया गया कि लिए गए निर्णय के अनुसार हिंदी अनुभाग में कार्यरत सहायक निदेशक (राजभाषा) की प्रतिनियुक्ति के कार्यकाल को विस्तार करने हेतु प्रशासन अनुभाग द्वारा पत्र जारी किया गया और वर्तमान में उनका कार्यकाल उनके पैत्रिक विभाग, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग द्वारा 06 माह यानी 20 नवम्बर 2022 तक बढ़ा दिया गया है। साथ ही कनिष्ठ हिंदी अनुवादक की प्रतिनियुक्ति के कार्यकाल के विस्तारण संबंधी पत्र भी प्रशासन अनुभाग द्वारा जारी किया गया है, अभी उसका औपचारिक प्रत्युत्तर उनके पैत्रिक विभाग से निदेशालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

कार्रवाई- प्रशासन अनुभाग

16. **<u>राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) और राजभाषा नीति के अनुपालन हेतु जॉच बिंदु तैयार करने के संबंध में</u>**. सदस्य सचिव द्वारा अवगत किया गया कि निर्णयानुसार राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 (3) के अंतर्गत द्विभाषी रूप से जारी किए जाने वाले दस्तावेजों को जारी करने वाले अधिकारियों द्वारा अपेक्षित कार्रवाई करने और राजभाषा नीति के अनुपालन हेतु जॉच बिंदु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जा चुका है।

17. <u>हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कार्मिकों हेतु व्यक्तिश: आदेश प्रतिवर्ष जारी करना</u>. निर्णयानुसार निदेशालय मुख्यालय में कार्यरत हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों और कर्मचारियों को राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8 (4) के अनुसार व्यक्तिश: आदेश जारी करने हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार निदेशालय के 27 अधिकारियों और 115 कर्मचारियों को हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है, जिन्हें व्यक्तिश: आदेश जारी करना अपेक्षित है।

18. <u>अप्रैल-जून 2022 में आयोजित हिंदी प्रतियोगिताओं का विवरण</u>. समिति को जानकारी दी गयी कि निर्णयानुसार कर्मचारियों के लिए प्रति माह आयोजित की जाने वाली हिंदी प्रतियोगिता/हिंदी गतिविधि के क्रम में अप्रैल 2022 में ऑनलाइन हिंदी कविता पाठ प्रतियोगिता और मई 2022 में हिंदी निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गयी थी। जून के अंतिम सप्ताह में कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन हिंदी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी और, साथ ही निदेशालय के अधिकारियों के लिए प्रत्येक तिमाही में आयोजित की जाने वाली हिंदी प्रतियोगिता के क्रम में निदेशालय में दिनांक 28 जून 2022 को **"जन सुरक्षा एवं आपदा राहत के लिए एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क की आवश्यकता"** विषय पर ऑनलाइन माध्यम से हिंदी व्याख्यान प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। सदस्य सचिव ने सभी अधिकारियों को इस प्रतियोगिता में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने और इसे सफल बनाने का अनुरोध किया।

<u>मद संख्या 3</u>. <u>पिछली हिंदी तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा</u>. बैठक में निदेशालय (मुख्यालय) की राजभाषा हिंदी की पिछली तिमाही प्रगति रिपोर्ट (मार्च 2022 तिमाही) पर मद-वार चर्चा की गयी और अनुभागों के दिसम्बर 2021 की तिमाही प्रगति रिपोर्ट और मार्च 2022 की तिमाही प्रगति रिपोर्ट की तुलनात्मक समीक्षा की गयी और निम्नानुसार निर्णय लिए गए :-

1. **<u>राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 (3) के अंतर्गत जारी कागजात</u>.** समिति ने पाया कि मार्च 2022 तिमाही की हिंदी तिमाही प्रगति रिपोर्ट के अनुसार धारा 3 (3) के अंतर्गत जारी कागजात द्विभाषी रूप में ही जारी किए गए हैं। इस प्रकार धारा 3 (3) का अनुपालन किया गया है।

2. **<u>हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना.</u>** पिछली तिमाही में हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में ही दिया गया। इस प्रकार राजभाषा नियम-5 का अनुपालन किया गया है।

3. **<u>अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने की स्थिति</u>.** पिछली तिमाही में **'क'** एवं **'ख'** क्षेत्र से अंग्रेजी में प्राप्त कुल 2708 पत्रों में से 1361 पत्रों का उत्तर हिंदी में और 410 पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में दिया गया तथा 937 पत्रों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं था। निर्णय लिया गया कि **'क'** एवं **'ख'** क्षेत्रों से अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में ही दिए जाने का हर संभव प्रयास किया जाए ताकि हिंदी पत्राचार के लिए निर्धारित 100 प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

कार्रवाई- सभी अनुभाग

4. **<u>हिंदी पत्राचार</u>**. हमारा निदेशालय **'क'** क्षेत्र में स्थित है, हमारे निदेशालय के लिए हिंदी पत्राचार का लक्ष्य **'क'** एवं **'ख'** क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों के लिए 100 प्रतिशत है एवं **'ग'** क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए 65 प्रतिशत लक्ष्य निर्धारित है। मार्च 2022 तिमाही में निदेशालय का हिंदी पत्राचार **'क'** क्षेत्र को **75.70 प्रतिशत** हुआ है, जो कि दिसम्बर 2021 तिमाही में **75.16** प्रतिशत था। इस प्रकार यह दिसम्बर 2021 की **तिमाही** की तुलना में **0.74 प्रतिशत बढ़ा है। 'ख'** क्षेत्र को मार्च 2022 तिमाही में **77.50 प्रतिशत** हिंदी पत्राचार हुआ है, जो कि दिसम्बर 2021 तिमाही की **79.90 प्रतिशत** की तुलना में **02.40 प्रतिशत** घटा है। **'ग'** क्षेत्र को मार्च 2022 तिमाही में 60.00 **प्रतिशत** पत्राचार हुआ है जो कि दिसम्बर 2021 तिमाही की **65.53 प्रतिशत** की तुलना में **05.53 प्रतिशत** घटा है। इस प्रकार सभी अनुभागों को हिंदी पत्राचार को बढ़ाने के लिए ठोस उपाय करने की आवश्यकता है, ताकि दिए गए लक्ष्यों को निदेशालय प्राप्त कर सके। निर्णय लिया गया कि हिंदी पत्राचार को बढ़ाने के लिए एक एडवाइजरी निकाली जाए और किस प्रकार से निदेशालय के अनुभागों का हिंदी पत्राचार बढ़ सकता है इस बारे में एडवाइजरी में उल्लेख किया जाए।

कार्रवाई- सभी अनुभाग/हिंदी अनुभाग

5. **<u>फाइलों पर हिंदी में लिखी गई टिप्पणियाँ</u>.** गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा फाइलों/दस्तावेजों पर हिंदी टिप्पणियों का लक्ष्य **75 प्रतिशत** निर्धारित है। मार्च 2022 की तिमाही में मुख्यालय का हिंदी टिप्पण **75.87 प्रतिशत रहा है,** जो कि दिसम्बर 2021 तिमाही में **73.79 प्रतिशत** की तुलना में **02.08 प्रतिशत** बढ़ा है। इस प्रकार निदेशालय ने मार्च 2022 में हिंदी टिप्पणियों के लिए निर्धारित 75 प्रतिशत लक्ष्य को हासिल कर लिया है। निर्णय लिया गया कि सभी अनुभाग इस लक्ष्य को बरकरार रखेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि हिंदी टिप्पणियां किसी भी तिमाही में पिछली तिमाही से कम न हो।

6. **<u>अनुभागों के पिछली दो तिमाही रिपोर्टों में हिंदी पत्राचार के प्रतिशत और फाइलों पर हिंदी में की गई टिप्पणियों के डाटा पर चर्चा</u>.** सदस्य सचिव द्वारा निदेशालय के अनुभागों के पिछले दो तिमाही रिपोर्टो के तुलनात्मक डाटा को पढ़कर सुनाया गया, जिसमें प्रशासन अनुभाग के हिंदी पत्राचार में दिसम्बर 2021 तिमाही की तुलना में मार्च 2022 की तिमाही में हिंदी पत्राचार का प्रतिशत घटा हुआ पाया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा संयुक्त निदेशक (प्रशासन) को इस विषय में संज्ञान लेने और प्रशासन अनुभाग के हिंदी पत्राचार के लक्ष्य को बरकरार रखते हुए इसे बढ़ाने हेतु अपने कार्मिकों को प्रयास करने हेतु निर्देश दिया, ताकि किसी भी हालत में हिंदी पत्राचार की प्रतिशतता पिछली तिमाही से कम न हो पाए।

कार्रवाई- प्रशासन अनुभाग एवं सभी अनुभाग

<u>कार्यसूची का मद संख्या 4. वार्षिक कार्यक्रम 2022-23 में दिए गए लक्ष्यों पर चर्चा</u>: बैठक में भारत सरकार, गृह मंत्रलय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम 2022-23 में निर्धारित लक्ष्यों पर मदवार विस्तार से चर्चा की गयी और लक्ष्यों को हासिल करने हेतु सभी संबंधितों द्वारा आवश्यक प्रयास किए जाने का निर्णय लिया गया। सदस्य सचिव द्वारा चर्चा के दौरान बताया गया कि राजभाषा विभाग द्वारा जारी

किए गए वार्षिक लक्ष्यों पर आवश्यक निर्णय कार्यसूची के मद संख्या 2 पर लिए जा चुके हैं। वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए लक्ष्यों के मदों पर कुछ निर्णय निम्नानुसार लिए गए :-

1. **<u>हिंदी डिक्टेशन/ की-बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वंय एवं सहायक द्वारा)</u>**. सदस्य सचिव द्वारा अवगत किया गया कि इसके लिए लक्ष्य 65 प्रतिशत निर्धारित है और हमारे निदेशालय द्वारा लगभग 50 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया गया है । सदस्य सचिव द्वारा सभी वरिष्ठ अधिकारियों से अपने अधीनस्थ कर्मचारियों/सहायक आदि को अपने स्तर पर हिंदी में डिक्टेशन देने के लिए अनुरोध किया गया, ताकि इस लक्ष्य को हासिल किया जा सके।

2. **<u>नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें</u>**. सदस्य सचिव द्वारा अवगत किया गया कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा वर्ष में दो बैठकें आयोजित की जाती हैं। इसके लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का कार्यालय, प्रधान लेखा परीक्षा कार्यालय, दिल्ली, मध्य क्षेत्र है। वहां से सूचना प्राप्त होने पर इस बैठक में भाग लिया जाएगा।

3. **<u>राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें</u>**. सदस्य सचिव द्वारा अवगत किया गया कि कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से निदेशक महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही हैं।

4. **<u>वैबसाइट द्विभाषी तैयार करना</u>**. इसके लिए लक्ष्य 100 प्रतिशत निर्धारित है। सदस्य सचिव ने अवगत किया कि निदेशालय की वैबसाइट हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है। साथ ही उन्होंने वैबसाइट में धारा 3 (3) के अंतर्गत अपलोड किए जाने वाले कागजातों को द्विभाषी रूप में ही अपलोड करने का अनुरोध किया ताकि वैबसाइट का द्विभाषीकरण सुनिश्चित किया जा सके।

कार्रवाई- सभी अनुभाग/आई.टी. अनुभाग

5. **<u>कोड, मैनुअल, फॉर्म, प्रक्रिया और साहित्य का हिंदी अनुवाद</u>**. इसके लिए लक्ष्य 100 प्रतिशत निर्धारित है। सदस्य सचिव ने अवगत किया कि निदेशालय में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार इस मद पर कार्यालय द्वारा अनुपालन किया गया है। साथ ही उन्होंने अनुरोध किया कि यदि किसी अनुभाग में ऐसा प्रपत्र केवल अंग्रेजी में ही हैं तो वे इन्हें हिंदी अनुवाद के लिए हिंदी अनुभाग में शीघ्र अग्रेषित करें ताकि इनका अनुवाद करके नियम का अनुपालन किया जा सके।

कार्रवाई- सभी अनुभाग

<u>कार्यसूची का मद संख्या 5 : अध्यक्ष महोदय की अनुमति से किसी अन्य विषय पर चर्चा</u>. अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों से उनके अपने-अपने सुझाव देने को कहा गया, इस पर सदस्यों द्वारा अपने-अपने सुझाव दिए गए, जोकि निम्नलिखित हैं :-

1. श्री हेमंत कुमार, उप निदेशक (प्रशासन) द्वारा अवगत किया गया कि प्रशासन अनुभाग द्वारा 'ई' ऑफिस के माध्यम से पत्राचार करने के कारण हिंदी पत्राचार में कमी आयी है। उन्होंने सदस्य सचिव से यह जानकारी मांगी कि 'ई' ऑफिस के माध्यम से जो हिंदी में पत्राचार किया जा रहा है, उसकी गणना कैसे की जाएगी। इस पर सहायक निदेशक (राजभाषा) द्वारा बताया गया कि इस संबंध में वे राजभाषा से जुड़े तकनीकी विशेषज्ञों से पूछकर सूचित करेंगे।

2. डॉ. सुरेश विनायक, संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण) द्वारा सुझाव दिया गया कि सी.पी.आर.टी.आई. में कार्मिकों एवं प्रशिक्षार्थियों के पढ़ने के लिए समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं मंगवायी जानी चाहिए। इस पर विचार विमर्श करने के बाद अध्यक्ष महोदय द्वारा इस संबंध में सी.पी.आर.टी.आई. को फाइल पर प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया ।

कार्रवाई- सी.पी.आर.टी.आई.

3. श्री आर.के. सिंह, उप निदेशक (समन्वय) द्वारा पूछा गया कि बैठक में अनुभागों की पिछली दो तिमाही रिपोर्ट पर जो चर्चा हुई और जो डाटा प्रस्तुत किया गया क्या वह रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भी भेजी जाती है कि

किस अनुभाग का कितना प्रतिशत कार्य हिंदी में हो रहा है। इस पर सदस्य सचिव द्वारा अवगत किया गया कि निदेशालय की रिपोर्ट सभी अनुभागों से प्राप्त तिमाही रिपोर्ट के आंकड़ों को समेकित करके तैयार की जाती है और यहीं रिपोर्ट निदेशक महोदय के अनुमोदन के पश्चात गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग को ऑनलाइन भेजी जाती है।

4. संयुक्त निदेशक (प्रशासन) द्वारा सुझाव दिया गया कि निदेशालय के सभी अनुभाग अपने हिंदी पत्राचार को या फाइलों पर हिंदी में लिखी जाने वाली टिप्पणियों को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, तथा जिन अनुभागों का हिंदी पत्राचार पहले की तिमाही की तुलना में कम होता है, उसमें कैसे सुधार लाया जा सके उसका आंकलन करके सहायक निदेशक (राजभाषा) द्वारा अनुभागों को एक एडवाइजरी जारी की जानी चाहिए। आंकलन करते समय जब किसी अनुभाग का अंग्रेजी में अधिक पत्राचार हुआ है तो इसमें सुधार करने के लिए उपाय बताया जाना चाहिए । इस पर निर्णय लिया गया कि इस विषय पर सहायक निदेशक (राजभाषा) अलग से अधिकारियों को ब्रीफ करके उनकी दुविधाएं और शंकाओं को दूर करें तथा साथ ही इस विषय पर एक एडवाईजरी भी जारी करें।

कार्रवाई- हिंदी अनुभाग एवं प्रशासन अनुभाग

5. डॉ. आर. के. सिंह, सहायक निदेशक (राजभाषा) द्वारा अवगत किया गया कि गृह मंत्रालय के निदेशक (राजभाषा) ने राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक को ऑफलाइन आयोजित करने हेतु सूचित किया है। इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत बैठकें ऑनलाइन माध्यम से ही आयेजित की जा रही हैं। यदि बैठक ऑफलाइन संचालित करनी हैं तो इस संबंध में निदेशक (राजभाषा) एक पत्र के माध्यम से सूचित कर दें ताकि उस आधार पर बैठक ऑफलाइन आयोजित की जा सकें।

6. **अध्यक्ष महोदय का संबोधन**. अध्यक्ष महोदय ने अपने संबोधन में प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि निदेशालय मुख्यालय में अधिक मात्रा में कामकाज हिंदी भाषा मे हो रहे हैं। उनके पास प्रशासन व समन्वय अनुभाग से काफी संख्या में फाइलें आती हैं जिन पर हिंदी में पत्राचार हो रहा है। अध्यक्ष महोदय ने बताया कि सभी अधिकारी और अनुभाग यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा हिंदी पत्राचार और हिंदी टिप्पणियों का जो लक्ष्य हासिल कर लिया गया है, उसे बरकरार रखें। प्रत्येक तिमाही में इसे बढ़ाने का हर संभव प्रयास करें ताकि हमारा निदेशालय हिंदी पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर सके। साथ ही अध्यक्ष महोदय ने हिंदी अनुभाग द्वारा प्रतिमाह आयोजित की जाने वाली हिंदी प्रतियोगिताओं/हिंदी गतिविधियों और हिंदी कार्यशाला में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने के लिए निदेशालय के कार्मिकों से अपेक्षा की।

अंत में कोई मद नहीं होने पर अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक में लिए गए निर्णयों पर समित के सभी अधिकारियों द्वारा अपने-अपने स्तर पर आवश्यक कार्रवाई करने की अपेक्षा करते हुए और सभी सदस्यों को धन्यवाद देते हुए **'ई'** बैठक के समापन की घोषणा की गयी।

13.07.202

(डॉ राजीव कुमार सिंह)
सहायक निदेशक (राजभाषा)